झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–13/2022 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, रॉंची।

विषयः– **झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका–235 को शिथिल कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका–245 के तहत मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता को क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची की मरम्मति करने हेतु प्राक्कलित राशि रू0 28,69,856/–(अठाईस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छप्पन रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में दिये जाने के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation-JCSTI) की स्थापना विज्ञान के प्रचार–प्रसार, छात्र/छात्राओं एवं आमजनों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञान केन्द्रों एवं साईंस सीटी की स्थापना, वैज्ञानिक शोध–अनुसंधान, वैज्ञानिक व्याख्यान, कार्यशाला, सेमिनार, वैज्ञानिक मेला आदि के लिए की गयी है। वर्ष 2010 में झारखण्ड सरकार द्वारा राँची के चिरौंदी में 11.6775 एकड़ भूमि पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) कोलकाता के सहयोग से 4200 Square मीटर में दो मंजिला भवन का निर्माण करते हुए क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची की स्थापना की गयी है। इसकी स्थापना के 12 वर्ष हो गये है एवं मार्च 2020 से कोरोना महामारी के कारण विज्ञान केन्द्र बंद है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक उपकरणों एव वैज्ञानिक प्रदर्श की स्थिति अच्छी नहीं है एवं तत्काल इसकी मरम्मति कर आमजनों के लिए विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता है। विज्ञान केन्द्र में अधिष्ठापित प्रदर्श भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता द्वारा ही विशेष रूप से तैयार किये गए हैं एवं साईंस म्युजियम की स्थापना में उन्हें दक्षता प्राप्त है।

2. NCSM, कोलकाता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्था है जो जिला विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय विज्ञान केंन्द्र, साईंस सीटी/साईंस म्युजियम के निर्माण एवं अनुरक्षण में निरंतर कार्यरत है। वर्त्तमान में पुरे भारत में 25 विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के उपरांत सभी स्तर पर अनुरक्षण एवं संचालन कर रही है।

3. दिनांक 20.04.2022 को निदेशक, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में राँची विज्ञान केन्द्र के मात्र फन साईंस गैलरी (Fun Science Gallery) एवं हाउ थींग्स वर्क गैलरी (How Things Work Gallery) के उपकरणों/प्रदर्शों की मरम्मति हेतु सहमति बनी। इसके आलोक में NCSM, कोलकाता का पत्रांक–NCSM/21-22/JCST&I दिनांक–06.05.2022 के द्वारा उक्त दो गैलरी, साईंस पार्क इत्यादि के मरम्मति हेतु कुल राशि रू0 28,69,856/–(अठाईस लाख उनहतर हजार आठ सौ छप्पन रूपये) मात्र का प्राक्कलन दिया गया है। उप महानिदेशक, NCSM, कोलकाता का पत्रांक I-17011/6/213, दिनांक 22.09.2022 में प्रतिवेदित है कि NCSM, कोलकाता द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रॉंची के प्रदर्शो के भौतिक निरीक्षण, नवीनीकरण के लिए संघटकों/सामग्रियों की आवश्यकता और बाजार दर के आधार पर प्रदर्शों के मरम्मत हेतु प्राक्कलन राशि रू0 28,69,856/–(अठाईस लाख उनहतर हजार आठ सौ छप्पन रूपये) तय की गई है, जो NCSM, कोलकाता के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है एवं इसका पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है एवं दरों को उचित पाया गया है। तदुपरान्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1023 दिनांक 01.11.2022 में सन्निहित विषयांकित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में मद संख्या 01 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. अतः उक्त के आलोक में झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका–235 को शिथिल कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका–245 के तहत मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का चयन कर क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची के उपकरणों/प्रदर्शों की मरम्मति करने हेतु राशि रू0 28,69,856/–(अठाईस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छप्पन रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में भुगतान किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. विषयांकित योजना हेतु राशि की निकासी झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के PL खाता में संधारित राशि से की जायेगी।

6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार डोरण्डा राँची से की जायेगी।

7 झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश तथा JCSTI के निरूपित नियमों को पूर्णतः अनुपालन JCSTI के कार्यपालक निदेशक सुनिश्चित करेगें।

8. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जाय, इसके लिए JCSTI के कार्यपालक निदेशक जिम्मेवार होगे। राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

9. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सशर्त्त सहमति प्राप्त है। परामर्श के आलोक में विषयांकित योजना के प्रस्तावित दर को विभाग द्वारा गठित समिति ने Reasonable माना है।

11. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची का होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–13/2022 /राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–13/2022/14/योजना /राँची, दिनांकः– 17.11.2022

प्रतिलिपि–मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.22
सरकार के सचिव